R-11 No	R-1 No	R-2 No
Date	Date	Date

कनेक्शन के लिए आवेदन नया कनेक्शन/स्थान परिवर्तन/भारवृद्धि/श्रेणी परिवर्तन के लिए (जो लागू नहीं है उसे काट देवें)

	$\hat{}$
π	7

सहायक अभियंता / कनिष्ठ यंत्री मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

	आवेदक नाम व्यक्ति/संस्था :
	्र पिता / पति / प्रबंधक :
स.	वर्ग (जो लागू हो उस पर √ सही का निशान लगावें शेष काट दें) ःसामान्य / अनु.जाति / अनु.जनजाति / पिछड़ा वर्ग
द.	स्थान जहाँ कनेक्शन चाहा गया है (पूरा पता दें) :
	फोन नं.:

- 2. कनेक्शन का प्रयोजन एवं प्रकार :
 - अ. प्रयोजन (जो लागू हो उस पर $\sqrt{}$ सही का निशान लगावें शेष काट दें) : कृषि / घरेलू / गैर घेरलू
 - ब. प्रकार (जो लागू हो उस पर √ सही का निशान लगावें शेष काट दें) : स्थायी ∕ अस्थायी
- 3. अनुमानित विद्युत भार का विवरण (नीचे तालिका में कॉलम 3 एवं 4 गणना कर भरे)

	1		
उपकरण	भर वाट्स (अनुमानित)	संख्या	कुल भार वाट्स
1.	2.	3.	4. (2X3)
बल्ब	60		
ट्यूब लाइट	40		
ट्यूब लाइट पंखे	60		
टेपरिकॉर्डर / म्यूजिक सिस्टम	40		
टी.वी.	90		
मिक्सी	50		
घरेलू प्रेस	650		
फ्रिज	110		
कूलर	250		
खाना बनाने का हीटर	1000		
पनी गरम करने का हीटर	1000		
वाशिंग मशीन	600		
गीजर	2000		
माइक्रोवेव ओवन	2000		
एयर कंडीशनर	1500		
प्लग पाइंट	लागू नहीं		लागू नहीं
यदि कोई अन्य उपकर हो तो विवरण विद्युत मण्डल के संबंधित अधिकारी से पूछकर भरें			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
योग			

4.	कनेक्शन के स्थान से निकटतम खंबे की अनुमानित दूरी (मीटर में :
5.	जमा करायी जा रही राशि का विवरण (गणना के लिये पृष्ठ 4 देखें)

क्रमांक	विवरण	राशि (रूपये)
1.	पंजीयन शुल्क	
2.	मीटर मूल्य अमानत (मीटर किराया नहीं लगेगा)	
3.	अमानत राशि	
4.	कनेक्शन शुल्क	
5.	स्टाम्प शुल्क	
6.	लइन व्यवस्था शुल्क	
7.	अधोसंरचना विकास शुल्क	
	योग	

1.	पंजीयन शुल्क	
2.	मीटर मूल्य अमानत (मीटर किराया नहीं लगेगा)	
3.	अमानत राशि	
4.	कनेक्शन शुल्क	
5.	स्टाम्प शुल्क	
6.	लइन व्यवस्था शुल्क	
7.	अधोसंरचना विकास शुल्क	
	योग	
6. राशि	ा जमा करने का विवरण :	
च	त्त राशि नगदी / बैंक ड्राफ्ट / चैक नं.–	द्वारा
	5 शाखा	
बक) शाखा	सलग्न ह।
7. निग	म्न दस्तावेज संलग्न है (संलग्न दस्तावेजों पर टिक करें)	
71	एक हेक्टर या कम भूमि वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के	कारकों के लिये
7.1	C	•
	(मध्यप्रदेश शासन की निःशुल्क कृषि सिंचाई योजना के लाभ	ा क ालय)
	अ. पॉच साला खतौनी एवं खसरे की चालू वर्ष की नकल	
	ब. अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रमाण—प्रत्र (तहसीलदार द्वारा जारी)	अथवा अन्यप्राधिकृत अधाकरी
	स. राशन कार्ड का नम्बर. वर्ष ————————————————————————————————————	· जारी करने वाले अधिकारी का तमा कराते समय अवलोकन करायें)
7.2	अनुसूचित जाति / जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन (मध्यप्रदेश शासन की एकल बत्ती योजना के लाभ के लिये)	
	अ. अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रमाण–पत्र (तहसीलद जारी)	ार अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा
	ब. आवासीय भूमि के पट्टे/मालिकाना हक का प्रमाण	
	स. गरीबी रेख की सीमा से नीचे आय का प्रमाण	
	द. नीले रंग का राशन कार्ड का नम्बर ————————————————————————————————————	

घोषणा (आवेदन पत्र का हिस्सा)

1.	मैं घोषणा करता हूँ कि :— उपरोक्त जानकारी सत्य है।	
2.	मुझे विद्युत मंडल के विद्युत प्रदाय संबंधी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।	
3.	मैं विद्युत मंडल को प्रचलित दरों के अनुसार विद्युत प्रभार प्रतिमाह स्वतः	जमा कराऊँगा।
4.	मेरे ऊपर मंडल का कोई पुराना बकाया देय नहीं है (यदि देय राशि कराने के पूर्व जमा कराई जावे।)	होतो आवेदन पत्र जमा
5.	विद्युत खंभे से मेरे परिसर तक की सर्विस लाईन एवं मीटर आदि की सु मेरी जिम्मेदारी होगी। सर्विस लाईन से होने वाली किसी भी दुर्घटना उत्तरदायी रहूंगा। मंडल किसी भी दशा में जिम्मेदार नहीं माना जायेगा।	रक्षा एवं रख–रखाव की । की दशा में मैं स्वतः
6.	विद्युत तार / फिटिंग की सुरक्षा संबंधी टेस्ट रिपोर्ट में मंडल को निम्नानुस में उपलब्ध कराऊँगा।	गर निर्धारित समय सीमा
	1. घरेलू कनेक्शन — 60 दिवस	
	2. अन्य प्रकार कनेक्शन — 30 दिवस	
दिनांक	_	भवदीय
दिनांक	_	आवेदक
	हमें आवेदित कनेक्शन के लिए अनुबंध स्वीकार है।	
1.	मैंने कनेक्शन सम्बंधी निर्देश पुस्तिका की कड़िका कं.11 का अध्ययन अनुसार केबिल खिचवाई है।	कर लिया है। उसके
2.	मेरे स्थल पर कोई बकाया राशि नहीं है। यदि भविष्य में कोई बकाया र बिल में समायोजित की जाय।	ाशि निकलती है तो मेरे
दिनांक	_	
	सहायक अभियंता / कनिष्ठ यंत्री मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल,	आवेदक
गवाह		
1. नाम	:	
पता	=	
हस्त	क्षर :	
1. नाम	<u>:</u>	

हस्ताक्षर